



## अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – नया कनेक्शन

**प्र.1** नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कैसे करें?

उत्तर : नया कनेक्शन अनुरोध दर्ज करने के लिए, आवेदक निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं :

- हमारी वेबसाइट [www.tatapower-ddl.com](http://www.tatapower-ddl.com) पर कस्टमर सर्विस सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन (50 किलोवाट से अधिक के लोड के लिए अनिवार्य)
- टाइप करें TATA POWER-DDL NEW और उसे एसएमएस के जरिये 56070 नंबर पर भेज दें
- हमारे 24 घंटे टोल फ्री संपर्क केंद्र पर 19124 नंबर पर कॉल करें (केवल 49 किलोवाट तक के लोड के लिए लागू)
- नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कस्टमर केयर सेंटर पर जाएं (केवल 49 किलोवाट तक के लोड के लिए लागू)

**प्र.2** कनेक्शन कितने दिनों में जारी किया जाता है?

उत्तर : जहां आरओडब्ल्यू/ऑग्यमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, वहां 7 दिन के अंदर और जहां आरओडब्ल्यू (RoW) की जरूरत होती है, वहां 15 दिन में नया कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

**प्र.3** नया कनेक्शन प्रदान करने के स्टेप्स क्या हैं?

उत्तर : इन 3 स्टेप्स में नया कनेक्शन जारी किया जाएगा

1. यूटिलिटी एवं साइट निरीक्षण के लिए आवेदन
2. लोड स्वीकृति एवं डिमांड नोट जेनरेशन
3. एक्सटर्नल कनेक्शन और मीटर इंस्टॉलेशन

**प्र.4** लागू होने वाले लोड की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर : स्वीकृत लोड का मतलब है किलोवाट में लोड, जिसे उपभोक्ता को आपूर्ति करने पर सहमति जताई जाती है। स्वीकृत लोड की गणना किसी भी अवधि के दौरान एकसाथ उपयोग किए जाने वाले लोड (मशीनें, अप्लाइसेस, पंखें, लाइट्स, आदि) के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए: गर्मियों में एसी लोड को स्वीकृत लोड में शामिल किया जाएगा लेकिन गीजर शामिल नहीं होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर दोनों का एकसाथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

**प्र.5** कौन से दस्तावेज़ की जरूरत होती है?

उत्तर : [Click here to download.](#)

प्र 6 शुल्क कितना है?

उत्तर : [Click here to view New Connection Charges.](#)

प्र 7 डिमांड नोट का क्या मतलब है?

उत्तर : डिमांड नोट का तात्पर्य नया कनेक्शन/अपेक्षित परिवर्तन आदि प्रदान करने के लिए आवश्यक भुगतान (जैसे कि खपत डिपॉजिट, सर्विस लाइन शुल्क/अनुमानित शुल्क) के लिए उपभोक्ताओं को भुगतान नोट जारी करने से है।

प्र 8 नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित प्रॉपर्टी पर बकाया बिजली बिलों को वेरिफाई करना क्यों जरूरी है?

उपभोक्ता टाटा पावर-डीडीएल से इसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर

- बिजली बिल का बकाया परिसर से जुड़ा होता है न कि व्यक्ति से।
- पुराना बकाया किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो सकता है लेकिन यह मौजूदा मालिक या परिसर का उपयोग करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि बिजली कनेक्शन के लिए पात्रता हासिल करने के लिए वह परिसर पर किसी भी तरह के बकाये को चुकता करे।
- मौजूदा यूज़र या आवेदक खुद भुगतान कर सकता है या पहले के मालिक को बकाया चुकाने को कह सकता है। इसलिए संपत्ति खरीदने या कब्जा लेने से पहले यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बिजली बिल किसी तरह का बकाया न हो और/या संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज़ में बिजली बकाये के स्वामित्व का एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बंटबारे वाली संपत्तियों में मूल भूखंड/संपत्ति पर बकाया उप-विभाजित संपत्तियों के मौजूदा मालिकों द्वारा उक्त संपत्ति के कब्जे के अनुपात में देय होगा।

संपत्ति खरीदने के लिए बिजली बकाया संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता संपर्क केंद्र में अनुरोध कर सकता है

- डिस्ट्रिक्ट कस्टमर केयर सेंटर, अगर किसी खास मामले में और स्पष्टीकरण की जरूरत हो,
- सीएमजी (कनेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप) सुनवाई प्रकोष्ठ केशवपुरम में सोमवार से शुक्रवार को 9:30 से 12:30 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर) या
- डिस्ट्रिक्ट कस्टमर केयर सेंटर, हमारे 24x7 टोल फ्री संपर्क केंद्र पर 19124 पर कॉल कर अप्वाइंटमेंट लेने के बाद संबंधित ग्रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कस्टमर रिलेशंस एग्जिक्यूटिव से मिलने के लिए।

प्र 9 मेरे आवेदन के खारिज होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

उत्तर : नए कनेक्शन के आवेदन निम्नलिखित वजहों से खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है :

- डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होना/गलत होना
- पता, आपूर्ति का प्रकार आदि के बारे में गलत/फर्जी जानकारी देना
- डिमांड नोट का भुगतान नहीं करना
- परिसर पर बकाये का भुगतान नहीं होना
- वाइरिंग पूरा नहीं होना
- ईएलसीबी इन्स्टॉल नहीं होना
- अलग आवास यूनिट का नहीं मिलना (फ्लोर सिस्टम में अलग कनेक्शन के मामले में)
- असुरक्षित लोकेशन (पोल का अतिक्रमण)

प्र 10 अलग-अलग आवास के लिए किस स्थिति में दूसरा बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है?

उत्तर : जहां भी एक आवास यूनिट का उप-विभाजित किया गया हो और अलग रसोईघर के साथ-साथ अलग प्रवेश द्वार उपलब्ध हो, वहां रहने वाले कानूनी कब्जाधारक को दूसरा बिजली कनेक्शन जारी किया जा सकता है।

प्र 11 ईएलसीबी क्या है और इसका क्या महत्व है?

उत्तर : ईएलसीबी (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो किसी भी परिसर में करंट के हल्के लीकेज का भी पता लगाता है और अपने आप उक्त परिसर/उपकरण में बिजली की आपूर्ति को ट्रिप और डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे किसी अनचाही दुर्घटना को रोकने में मदद मिलती है। ईएलसीबी डिवाइस को इन्स्टॉल करने का एक उपयोगी लाभ है कि यह किसी भी फाल्ट तथा आंतरिक वाइरिंग में तारों के सटने का पता लगाने में सक्षम है।

प्र 12 नई स्ट्रीट लाइट कनेक्शन लेने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :

- टाटा पावर-डीडीएल स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव और बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रीट लाइट्स का लगाने का काम, नागरिक सुविधा के तहत आता है और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय भूमि स्वामित्व प्राधिकरण जैसे कि एमसीडी, डीडीए आदि की होती है।
- इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मामले में अपने इलाके के स्थानीय भूमि स्वामित्व प्राधिकरण (एलओए), जैसे कि एमसीडी, डीडीए आदि, से संपर्क करें।
- अनुरोध पर विचार करने के बाद टाटा पावर-डीडीएल कर्मचारियों द्वारा गवर्निंग अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। सबकुछ मंजूर होने के बाद अथॉरिटी द्वारा टाटा पावर-डीडीएल के पक्ष में फंड जुटाया जाएगा है और उसके बाद ही नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी या भूमि मालिक एजेंसियां अपने आप स्ट्रीट लाइट्स लगा सकती हैं।

स्ट्रीट लाइट्स के संचालन से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया हमारे 24x7 टोल फ्री संपर्क केंद्र 19124 पर संपर्क करें।

प्र 13 सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट (एसएलडी) शुल्क क्या हैं? यह शुल्क क्यों और किस स्थिति में लिया जाता है? इसमें कितना शुल्क लगता है?

उत्तर :

- सर्विस लाइन सह डेवलपमेंट (एसएलडी) शुल्क सर्विस लाइन और उससे जुड़े अन्य मदों में होने वाले खर्च के लिए टाटा पावर-डीडीएल द्वारा डिमांड नोट (नया कनेक्शन/री-कनेक्शन/लोड बढ़ाने के अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए) के माध्यम से वसूला जाता है। यह शुल्क स्वीकृत लोड की आवश्यकता और सर्विस लाइन की दूरी (डीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार) के आधार पर लिया जाता है।
- सर्विस लाइन टाटा पावर-डीडीएल की संपत्ति है और बदले गए सर्विस लाइन उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, अगर सर्विस लाइन के शुल्क का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है तो टाटा पावर-डीडीएल सर्विस लाइन को बदलने के लिए बाध्य है।
- अगर लोड बढ़ाने के लिए सर्विस लाइन बदली नहीं जाती है तो उपभोक्ता सर्विस लाइन शुल्क को रिफंड करने के लिए कह सकता है, एसएलडी का विवरण [Table 1.2.](#) में दिया गया है।

डेवलपमेंट द्वारा विकसित इलाके के लिए:

डेवलपमेंट एजेंसियों जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा विकसित और प्रायोजित इलाकों के लिए विद्युतीकरण का काम सिविल वर्क, एलटी फीडर्स सहित हाई टेंशन (एचटी) फीडर्स और सब-स्टेशन की लागत का 50% चार्ज तथा सर्विस लाइन एवं स्ट्रीट लाइट्स के लिए 100% चार्ज लेने के बाद टाटा पावर-डीडीएल द्वारा किया जाएगा।

प्र 14 अवैध या अनधिकृत निर्माण में कनेक्शन प्रदान करने में टाटा पावर-डीडीएल की क्या भूमिका है?

उत्तर : टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण कंपनी है और इसका संचालन दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नियमन के तहत किया जाता है। टाटा पावर-डीडीएल बताए गए दस्तावेजों के अनुसार बिजली कनेक्शन प्रदान करती है। विभिन्न सांविधिक एजेंसियों और पब्लिक यूटिलीटीज को विशिष्ट जिम्मेदारी, अधिकार और दायित्व सौंपा गया है।

अतएव, टाटा पावर-डीडीएल के पास किसी भी निर्माण को अनधिकृत या अवैध घोषित करने की न तो विशेषज्ञता है और न ही अधिकार। जब कभी हमें किसी न्यायिक या सांविधिक निकाय द्वारा अवैध या अनधिकृत निर्माण के बारे में सूचित किया जाता है, तब हम उनके सुझाव के अनुसार समुचित कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि डिफॉल्टरों के खिलाफ समुचित कार्रवाई के संबंध में इस तरह की शिकायत के लिए वे भूमि विकास एजेंसियों, जैसे कि डीडीए या न्यायिक निकाय संपर्क करें।